न

ई दल्लिी। उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग को 2014 में होने वाले आम चुनावों में मतदाताओं को ईवी। म से मतदान की पर्ची देने की योजना चरणबद्ध तरीके से लागू करने का आज नर्दिेश देते हु। कहा कि इससे स्वतंत्र । वं नष्पिक्ष मतदान सुनश्चिति होगा।

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को भी नर्दिेश दयिा कि वह वोट वेरफियर पेपर ऑडटि ट्रेल (वीवीपी। टी) प्रणाली लागू करने के ल। वत्तिीय सहायता मुहैया करा। ।

मुख्य न्यायाधीश पी सदाशविम और न्यायमूर्त रिंजन गोगोई की खंडपीठ ने कहा, ''ईवी। म में वीवीपी। टी लगाने से 'स्वतंत्र और नष्पिक्ष' चुनाव सुनश्चिति होंगे और 'ववािदों का नपिटारा' करने में मदद मलिेगी। ''

अदालत ने यह आदेश भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचकि पर दयिा है जसिमें उन्होंने चुनाव आयोग को यह नर्दिेश देने की मांग की थी कि वह ईवी। म में वीपीपी। टी लगाना और हर वोटर को रसीद जारी करना सुनश्चिति करे।

इससे पहले चुनाव आयोग ने अदालत को बताया था कि नगालैंड में इस वर्ष फरवरी में हु। वधिानसभा चुनावों के दौरान 21 मतदान केंद्रों पर वीपीपी। टी का सफल और संतोषजनक इस्तेमाल कयिा गया था।

आयोग ने खंडपीठ को यह भी बताया था कि वीवीपी। टी को चरणबद्ध तरीके से लागू कयिा जा सकता है और उसने इसके ल। प्रशासनकि । वं वत्तिीय कारणों का हवाला दयिा था। उसने कहा था कि आम चुनावों के ल। 13 लाख वीवीपी। टी मशीनों की जरूरत होगी।